राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र

क्रमांक : 03/झुं/2014-15

प्रमाणित किया जाता है राजा पब्लिक शिक्षा समिति

जिला झुंझुनूं

का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 राजस्थान अधिनियम 28, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालयों की सील से आज दिनांक तेइस माह अप्रेल सन् दो हजार चौदह को झुंझुनूं में दिया गया।

रजिस्ट्रार,
संस्थाएं, झुंझुनूं

राज पब्लिक शिक्षा समिति झुंझुंनू

संघ विधान–पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था नाम राज पब्लिक शिक्षा समिति झुंझुंनू समिति / सोसाइटी /संस्थान /संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय झुंझुंनू तथा कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान हैं तथा इसका कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान क्षेत्र तक सिमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्न उद्देश्य हैं।

1.	बालक बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना।
2.	हिन्दी साहित्य एंव भाषा का प्रचार करना।
3.	छात्र – छात्रो की शिक्षा का विशेष प्रबंध करना ।
4.	बालक – बालिकाओं का शारिरिक मानसिक एंव बौदिक विकास करके उनमें राष्ट्र अनुशासन भर एक सभ्य नागरिक बनाना।
5.	छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय प्रेम जागृत कर उनमें राष्ट्र के प्रति सर्म्पण की भावना को प्रोत्साहित करना ।
6.	ऐसा कोई अन्य प्रावधान करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पुर्ति हेतु आवश्यक है।
7.	चिकित्सा एंव स्वा. सम्बन्धी शिक्षा एंव प्रशिक्षण केन्द्र ,कृषि व औद्यागिक तकनिकी शिक्षा , प्राथमिक शिक्षा ,माध्यमिक शिक्षा , उच्च शिक्षा ,व्यवसायिक शिक्षा , कम्प्युटर शिक्षा , व प्रशिक्षण केन्द्र कि स्थापना करना। व विश्वविधालय स्तर कि मान्यतायें प्राप्त करना।
8.	समाज कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का सचालन करना।

उपरोक्त उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों की पुर्ति में कोई लाभ निहित नही है।

अध्यक्ष

अध्यक्ष
राज पब्लिक शिक्षा समिति
झुंझुनूं (राज.)

मंत्री

सचिव
राज पब्लिक शिक्षा समिति

कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
राज पब्लिक शिक्षा समिति

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :–

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पुर्ण पता	पद
1.	शिवराज सिह पुत्र श्री मालसिह	नौकरी	ठिकरिया खुर्द नागौर	अध्यक्ष
2.	सत्येन्द्र सिह पुत्र श्री नन्दलाल	व्यवसाय	पंचदेव मन्दिर के पास झुंझुनू	उपाध्यक्ष
3.	प्यारे लाल पुत्र श्री हरफुल सिह	कृषि	बजावा रावतका	सचिव
4.	अजय सिह पुत्र श्री सत्येन्द्र सिह	व्यवसाय	पंचदेव मन्दिर के पास झुंझुनू	कोषाध्यक्ष
5.	अरूण कुमार पुत्र श्री किसन लाल	कृषि	बजावा रावतका	सदस्य
6.	तनसुख पुत्र श्री सरदाराराम	नौकरी	ग्राम पोस्ट सोलाना तहसील चिड़ावा झुंझुनू राज.	सदस्य
7.	शिशुपाल सिह पुत्र श्री रामदेव सिह	कृषि	देरवाला झुंझुनू	सदस्य

अध्यक्ष

मंत्री

सचिव
राज पब्लिक शिक्षा समिति

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
राज पब्लिक शिक्षा समिति

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता , जिनके नाम व्यवसाय व पुर्ण पता निम्न प्रकार से हैं , इस संघ विधान पत्र के अन्तगर्त इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है ।

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पुर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	शिवराज सिह पुत्र श्री मालसिह	नौकरी	ठिकरिया खुर्द नागौर	
2.	सत्येन्द्र सिह पुत्र श्री नन्दलाल	व्यवसाय	पंचदेव मन्दिर के पास (झुंझुनू)	
3.	प्यारे लाल पुत्र श्री हरफुल सिह	कृषि	बजावा (रावतका) झुंझुनू	
4.	अजय सिह पुत्र श्री सत्येन्द्र सिह	व्यवसाय	पंचदेव मन्दिर के पास (झुंझुनू)	
5.	अरूण कुमार पुत्र श्री किसन लाल	कृषि	बजावा (रावतका) झुंझुनू	
6.	तनसुख पुत्र श्री सरदाराराम	नौकरी	ग्राम पोस्ट सोलाना तहसील चिड़ावा झुंझुनू (राज.)	
7.	शिशुपाल सिह पुत्र श्री रामदेव सिह	कृषि	देरवाला (झुंझुनू)	
8.	राजवीर पुत्र श्री सरदाराराम	नौकरी	ग्राम पोस्ट सोलाना तहसील चिड़ावा झुंझुनू (राज.)	
9.	श्रीराम पुत्र श्री रामदेव	कृषि	ग्राम खिदरसर पोस्ट देरवाला (झुंझुनू)	
10.	सन्दीप पुत्र श्री सुभाष चन्द्र	कृषि	ग्राम पोस्ट लुणा मलसीसर (झुंझुनू)	
11.	कमलेश कुमार पुत्र श्री किशन लाल	नौकरी	बजावा (रावतका) झुंझुनू	
12.	सविता पत्नी श्री नरेन्द्र सिह	कृषि	सोनासर (झुंझुनू)	
13.	डा. अमित कुमार पुत्र श्री लालचन्द	नौकरी	बजावा (रावतका) झुंझुनू	
14.	मोहिनी पत्नी श्री श्रीराम बेनिवाल	नौकरी	ग्राम पोस्ट देरवाला (झुंझुनू)	
15.	हरीश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश	नौकरी	ग्राम पोस्ट गुढा गोड़जी (झुंझुनू)	

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

हम हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ता को हम जानते है व उन्होने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषित करते है कि हम संस्था के सदस्य नही है।

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय /पुर्ण पता)

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय /पुर्ण पता)

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

राजस्थान पब्लिक शिक्षा समिति झुंझुंनू

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम राज पब्लिक शिक्षा समिति झुंझुंनू है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय झुंझुंनू तथा कार्यक्षेत्र समस्त राजस्थान है। तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक समिति होगा।
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्न उद्देश्य है।

1.	बालक बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना।
2.	हिन्दी साहित्य एंव भाषा का प्रचार करना।
3.	छात्र – छात्रो की शिक्षा का विशेष प्रबंध करना।
4.	बालक – बालिकाओं का शारिरिक मानसिक एंव बौदिक विकास करके उनमें राष्ट्र अनुशासन भर एक सभ्य नागरिक बनाना।
5.	छात्र छात्रओं में राष्ट्रीय प्रेम जागृत कर उनमें राष्ट्र के प्रति सर्म्पण की भावना को प्रोत्साहित करना ।
6.	ऐसा कोई अन्य प्रावधान करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पुर्ति हेतु आवश्यक है।
7.	चिकित्सा एंव स्वा. सम्बन्धी शिक्षा एंव प्रशिक्षण केन्द्र ,कृषि व औधागिक तकनिकी शिक्षा , प्राथमिक शिक्षा ,माध्यमिक शिक्षा , उच्च शिक्षा ,व्यवसायिक शिक्षा , कम्प्युटर शिक्षा , व प्रशिक्षण केन्द्र कि स्थापना करना। व विश्वविधालय स्तर कि मान्यतायें प्राप्त करना।
8.	समाज कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का सचालन करना।

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।

अध्यक्ष
राज पब्लिक शिक्षा समिति

मंत्री
सचिव

कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगें ।

1. संस्था के कार्यक्षेत्र मे निवास करते हो।
2. बालिग हो।
3. पागल , दिवालिया न हो।
4. संस्था के उद्देश्यो मे रूचि रखते हो।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझाते हा

5. सदस्यो का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे।

1–संरक्षक 2– विशिष्ठ

3–समाननीय 4– साधारण

(जो लागु नही हो उन्हे काट दीजियें)

6. सदस्यो द्धारा प्रदत शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यो – संरक्षक द्वारा राशी प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा।

1– संरक्षक राशी .....वार्षिक / अजन्म

2– संरक्षक राशी .....वार्षिक / अजन्म

3– संरक्षक राशी .....वार्षिक

4– संरक्षक राशी .....वार्षिक

उक्त राशी एक मुश्त अथवा रू .....

की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी ।

7. सदस्यो से निष्कासन : संस्था से सदस्यो का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा।

1– मृत्यु होने पर
2 –त्याग पत्र देने पर
3– संस्था के विपरीत कार्य कर ने पर
4–प्रबन्धकारीणी दोषी पाये जाने पर

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर

9. साधारण सभा के अधिकार के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

1–प्रबन्धकारीणी का चुनाव करना ।
2–वार्षिक बजट पारीत करना।
3–प्रबन्धकारीणी द्धारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टी करना ।
4– परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। –संस्था के कुल सदस्यो के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय मे फाईल कराया जाकर प्रमाणीत प्रतिलिपी प्राप्त करने पर लागु होगा ।)

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

10. साधारण सभा : 1– साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन की बैठक आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष /मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकगी।

2– साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यो का 1/3 होगा।

3– बैठक की सुचना 7 दिन पुर्व व अत्यावश्यक बैठक की सुचना 3 दिन पुर्व दी जाऐगी

4– कोरम के अभाव मे बैठक स्थगीत की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी । ऐसी स्थगीत बैठक मे कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगे जो पुर्व ऐजेन्डा मे थे ।

5–संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमे से जो भी कम हो , के लिखित आवेदन करने पर मंत्री /अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर – अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधी मे अध्यक्ष /मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेगें तथा इस प्रकार की बैठक मे होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जाऐगा ,जसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होगें।

1– अध्यक्ष –एक 2–उपाध्यक्ष –एक

3– मंत्री –एक 4– कोषाध्यक्ष –एक

5– ~~सदस्य –सात~~ तीन

(उक्त पदो के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किऐ जावे तो यहां अंकित करे । कम रखना चाहे तो कम रख ले।)

इस प्रकार प्रबन्धकारणी में 4 पदाधिकारी व 3 सदस्य कुल 7 सदस्य होगें।

12. कार्यकारीणी का निर्वाचन : : 1– संस्था की प्रबंधकारीणी का चुनाव 2वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जाऐगा ।

2–चुनाव प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगी।

3–चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारीणी द्वारा की जावेगीं।

13. कार्यकारीणी के अधिकार और कर्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकारी और होगा

1– सदस्य बनाना /निष्कासित करना ।

2– वार्षिक बजट तैयार करना ।

3– संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।

4–वैतनिक कर्मचारीयों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तो का निर्धारण करना , उन्हे सेवा मुक्त करना ।

5–साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयो को कियान्वित करना

6–कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना ।

7–अन्य कार्य जो सस्था के हितार्थ हो करना ।

अध्यक्ष अध्यक्ष मंत्री

14. कार्यकारीणी की : 1– कार्यकारीणी की वर्ष मे कम से कम 5 बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष /मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगीं।

2– बैठक का कोरम प्रबन्धकारीणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3– बैठक की सुचना 7 दिन पुर्व व अत्यावश्यक बैठक की सुचना ।परिचालन से कम समय में दी जा सकती है।

4– कौरम के अभाव में बैठक स्थगीत की जा सकेगी जो पुनः दुसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी । ऐसी स्थगीत बैठक मे कोरम की आवश्यकता नही होगी । लेकिन विचारणिय विषय वही होगे जो पुर्व एजेन्डा में थे।ऐसी स्थगीत बैठक में उपस्थित सदस्यो के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारीयो की उपस्थित अनिवार्य होगी । इस सभा की कार्य वाही की पुष्टी आगामी आम सभा मे करना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारीकायों के अधिकार व कर्तव्य : संस्था की प्रबन्धकारीणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगें।

I –अध्यक्ष

1– बैठको को आहत करना।
2–मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3–बैठकें आहुत करना।
4–संविधा तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना।

I I–उपाध्यक्ष

1–अध्यक्ष की अनुपस्थिती मे अध्यक्ष के समस्त अधिकारी का प्रयोग करना।
2– प्रबन्धकारीणी द्वारा प्रदत अन्य के अधिकारो क उपयोग करना।

I I I–मंत्री

1–बैठक आहुत करना ।
2–कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखनां।
3–आय व्यय पर नियंत्रण करना ।
4–वेतनिक कर्मचारीयो पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बील आदि पास करना।
5–संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानुनी दस्तावेजो पर संस्था की और से हस्ताक्षर करना।
6–पत्र व्यवहार करना ।
7– सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्या जो आवश्यकता हो।

IV–उपमंत्री

1–मंत्री की अनुपस्थिति मे मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना ।
2–अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी /मंत्री द्वारा सौंपे जावे।

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष ... शिक्षा समिति | सचिव | कोषाध्यक्ष ... प्रशिक्षक शिक्षा समिति

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक 08/झुं/2014-15
2. संस्था का नाम राज पब्लिक शिक्षा समिति झुंझुनू
3. किस्म दस्तावेज...
4. दस्तावेजों की संख्या...
5. दिनांक पंजीयन...

रजिस्ट्रार संस्थाएँ झुन्झुनू

V - कोषाध्यक्ष

1 –वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना
2 –दैनीक लेखो पर नियंत्रण रखना
3–चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4–अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा।

1 –चन्दा
2 – शुल्क
3– अनुदान
4– सहायता
5–राजकिय अनुदान

1– उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जाऐगी।
2– अध्यक्ष / मंत्री / कोषाध्यक्ष मे से किन्ही दो पदाधिकारीयो के संयुक्त हस्ताक्षरो से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न स्वीकृत कर सकेगें

1–अध्यक्ष 50,000 रू.
2–मन्त्री 45,000 रू.
3–कोषाध्यक्ष 40,000 रू.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। प्रबन्धकारीणी द्वारा की जाऐगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखो का वार्षिक अंकेक्षण कराया जाऐगा।

19 संस्था के विधान मे परिवर्तन : संस्था के विधान मे आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन , परिवर्द्धन अथवा संसाधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन व अचल सम्पति समान : यदि संस्था के विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की चल उदेश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरिक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं झुंझुनू को संस्था के रिकार्ड कनिरिक्षण /जांच करने का पुर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिऐ गऐ सुझावो की पुर्ति कि जावेगी।

प्रमाणित किया जाता हैं कि उक्त विधान (नियमावली) राज पब्लिक शिक्षा समिति झुंझुनू समिति / सोसायटी / संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष

राज पब्लिक शिक्षा समिति झुंझुनूं (राज.)